उत्तराखण्ड में विधान सभा चुनाव और महिलाएं

***चन्द्र कला**

उत्तराखण्ड राज्य को बने हुए सोलह वर्ष बीत गए हैं। इस राज्य के निर्माण महिलाओं में महिलाओं की महत्वपूर्ण भागीदारी रही है। लेकिन राज्य बनने के इतने साल बाद भी महिलाओं की स्थिति में, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में कोई अन्तर नहीं दिखाई देता। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के जीवन को अधिकांश हिस्सा जंगलों से लकड़ी व घास लाने, बारिश के भरोसे पर खेती करते हुए, दूर पानी ढोकर लाते हुए, पशुओं के साथ ही परिवार के बच्चों–बुर्जुगों की देखभाल करते हुए तथा शराबी पति की मार खाते हुए ही बीत जाता है।

उत्तराखण्ड के लगभग 19 प्रतिषत भूभाग कृषि तथा 65 प्रतिशत वनअच्छादित है। उत्तरप्रदेश से अलग उत्तराखण्ड राज्य बनाने की जो लड़ाई यहां की महिलओं ने संगठित की थी उसका मूल कारण था, पहाड़ी क्षेत्र के विकास में पिछड़ जाने तथा यहां रोजगार व अन्य बुनियादी सुविधाओं के अभाव में बढ़ता पलायन। शराब माफिया, खनन माफिया और भू माफिया लीसा–लकडी चोरों और पहाड़ों को ऐशगाह बनाने वालों से मुक्ति। इस आन्दोलन में शामिल महिलाओं की आकांक्षाए थी कि जल, जंगल, जमीन और जो उनकी आजीविका का साधन हैं, पर गांव का हक हो और पहाड़ों का विकास हो। ताकि उनके पति और बेटों को रोजगार की खातिर शहरों की ओर पलायन न करना पड़े। चिपको आन्दोलन, 'नशा नहीं रोजगार दो आन्दोलन और उत्तराखण्ड आन्दोलन अपने स्वरुप में इसी लिए सफल हो पाये कि इनमें बड़ी संख्या में महिलाओं की हिस्सेदारी रही। यहां की महिलाओं का यह मानना था कि राज्य के नीति निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भागीदारी हो ताकि वे पहाड़ों के विकास के शहीदों के सपनों को साकार कर सकें। लेकिन इस दिशा में आज तक किसी सरकार द्वारा कोई सचेत पहल नहीं की गई है। और न ही इतने सालों में पहाड़ों के विकास हेतु कोई ठोस नीतियां लागू की गई हैं।

आज भी घरेलू कार्यों से लेकर खेती–बाड़ी के काम जंगल और जानवरों की देखभाल सभी महिलाओं के जिम्मे है। खेती महिलाओं की आजीविका का बड़ा साधन है, रात–दिन की मेहनत से जो फसल (पेड़, पौधे, फल–फूल) होते भी हैं तो वह भी जंगली पशुओं (सुअर, बन्दर, साही) द्वारा नष्ट कर दिये जा रहे हैं। इस दिशा में सरकारें कोई ठोस कदम नहीं उठा रही हैं। महिलाओं पर होने वाले हमले भी बढ़े हैं। पलायन के कारण भी महिलाओं के जीवन की समस्याएं निरन्तर बढ़ रही हैं। गरीबी के कारण आज गांव के आस–पास कई स्थानों में परिवार की महिलाएं मजदूरी का काम भी कर रही हैं। पहाड़ों के पुरुषों की भूमिका और जिम्मेदारियों में भी कोई बदलाव नहीं दिखता है। यहां गांवों–कस्बों में घरों में रहने वाले पुरुशों की घरेलू और अन्य कामों के ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं दिखती जैसी कि महिलाओं की। पहाड़ों में शिक्षा/स्वास्थ्य के हालात दिन–प्रतिदिन खराब होते जा रहे हैं। दिन–रात के परिश्रम के बाद भी महिलाओं को उनको श्रम का कोई मूल्य नहीं मिलता। बारिश के अभाव सूखा पड़ने अथवा प्राकृतिक आपदा आदि के कारण खेती में उत्पादन भी इतना नहीं हो पाता कि परिवार का भरण–पोषण पूरी तरह से हो सके। महिलाएं एक अवैतनिक मजदूर की तरह पूरी जिन्दगी परिवार रुपी कोल्हू के इर्द–गिर्द घूमने को मजबूर हैं।

पहाड़ों के कई क्षेत्रों में स्कूल है पर अध्यापक नहीं हैं जिससे बच्चों की पढ़ाई तो प्रभावित होती ही है, शिक्षा की गुणवत्ता दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है। पहाड़ की लड़कियों की पढ़ाई पर वैसे ही कम ध्यान दिया जाता है जो स्कूल जाती भी हैं तो घरेलू कार्य बोझ के कारण उन्हें बीच में ही स्कूल छुड़वा दिया जाता है। अस्पतालों के अभाव के कारण भी पहाड़ों की महिलाओं का जीवन कष्टकारी है। सरकार ने अस्पताल की बिल्डिंग तो बनवा दी है पर डाक्टरों के अभाव में यह किसी काम की नहीं है। डाक्टरों के अभाव में पहाड़ों की स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी है कि प्रसूता महिलाओं एवं बच्चों को सही समय पर इलाज न मिलने से वे कई बार मौत के मुँह में समा जाते हैं। आज भी महिलाओं, बच्चों और किशोरवय लड़कियों के स्वस्थ विकास की सम्भावनाएं कम ही दिखती हैं।

*शोध छात्रा, राजनीति विभाग, डी.एस.बी.परिसर, नैनीताल

शराब व नशे के व्यापार में उत्तराखण्ड में लगातार वृद्धि हुई है। नशामुक्त राज्य की कामना करने वाली महिलाओं के नाम पर ही शराब की दुकानों का आवंटन करना सरकारों का सबसे बड़ा अनुचित कदम है। शराब के कारण तो पहाड़ की महिलाओं को ही सबसे अधिक कष्ट और अभाव झेलने पड़ते हैं और उनके आन्दोलन की धार केा कुन्द करने की यह नीति उत्तराखण्ड की महिलाओं ही नहीं बल्कि तमाम गरीब व मेहनत करने वाले लोगों का भी अहित करने वाली है। आज उत्तराखण्ड में न केवल ग्रामीण क्षेत्र में बल्कि शहरों में भी युवाओं में नशे की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, जिससे उनका भाविष्य बरबाद हो रहा है। शराब के कारण महिलाओं व लड़कियों के साथ होने वाली हिंसा, मारपीट, उत्पीड़न, बलात्कार व छेड़छाड़ की घटनाएं निरन्तर बढ़ती जा रही है। पहाड़ के पुरुष नशे व शराब में डूबे रहते हैं और सुबह से शाम तक मेहनत करती औरत को रात में पति का उत्पीड़न झेलने को मजबूर है। नशे के कारण होने वाली घरेलू हिंसा की घटनाएं भी निरन्तर बढ़ती जा रही हैं।

2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखण्ड की जनसंख्या 1.01 करोड़ हैं जिसमें पुरुषों की संख्या 51.54 लाख व महिलाओं की संख्या 49.63 लाख रही, उत्तराखण्ड में कार्यरत महिलाओं का 13 प्रतिशत तथा कुल कृषकों में 56.4 प्रतिशत, खेतीहर मजदूरों में 26.6 प्रतिशत, पारिवारिक उद्योगों में 38.8 प्रतिशत अन्य कार्यों में 12.5 महिलाएं हैं। प्रदेश में जहां पुरुष साक्षरता दर 88.33 प्रतिशत है वहीं महिलाओं की साक्षरता दर 70.98 प्रतिशत रही है।

उत्तराखण्ड की महिलाओं का जीवन पूरी दुनिया की महिलाओं से किसी भी रुप में अलग नहीं कहा जा सकता, उनकी स्थिति पुरुष से दोयम ही मानी जाती है। भारतीय समाज तो न केवल पितृसत्तात्मक व रूढ़िवादी सामन्ती मान्यताओं के अनुरुप महिला का जीवन संचालित होता है बल्कि जाति धर्म व तमाम अन्धविश्वास के दुष्प्रभाव भी उसके हिस्से आते हैं। महिलाओं की स्थिति को बदलने के लिए न केवल महिलाओं ने बल्कि कई सुधारवादी व प्रगतिशील पुरुषों ने समय–समस पर विभिन्न प्रकार के प्रयास किए हैं। लम्बे संघर्षों, सुधारों के परिणामस्वरुप ही महिलाओं को कानून के बतौर पुरुष के बराबर माना गया। आज महिलाएं शैक्षिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक तौर पर ही पुरुषों की बराबरी नहीं कर रहीं बल्कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में वे अपने होने का एहसास करा रही हैं। यह तस्वीर क का एक पहलू है। यह सच्चाई भी हमारे सामने आइने की तरह साफ है कि महिलाएं जितना पुरुष समाज को चुनौति दे रही हैं उतना ही वह हिंसा के विभिन्न रुपों का शिकार हो रही है। कहीं खाफ पंचायतों के सामंती रुप उसकी आजाद उड़ान के दुश्मन बन जाते हैं तो कहीं उपभोक्ता बाजार की संस्कृति उसे वस्तु में तब्दील कर सामान्य इन्सान के हक से वंचित कर देना चाहती है। समाज की अधिकांश महिलाएं किसी न किसी रुप में पितृसत्तात्मक मानसिकता से रुबरु होती हैं, उत्पीड़ित होती हैं, कम योग्य आंकी जाती हैं, और विभिन्न तरह की हिंसा का शिकार होती हैं। लेकिन महिलाएं आगे बढ़ रही यह सच्चाई है। आज महिलाओं का महत्व बढ़ा है इसलिए उनके विकास, उन्नति व सशक्तिकरण के लिए सभी देशों की सरकारें प्रयासरत हैं।

महिला सशक्तिकरण के लिए लम्बे समय से प्रयास जारी हैं ताकि महिलाएं सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक रुप से स्वतन्त्र हो सकें। राजनीतिक तौर पर महिलाओं के आरक्षण का प्रावधान भी इसलिए ही किया गया। महिलाएं ग्राम स्तर पर राजनीतिक संस्थाओं में भागीदारी करें और निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में शामिल हों इसके लिए 1993 में भारतीय संविधान के 73वें व 74वें संविधान संशोधन द्वारा इस दिशा में सकारात्मक पहल की गई। 73वें संशोधन में प्रावधानों के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था के तीनों स्तर पर 'महिलाओं के लिए कुल सीटों का 33 प्रतिशत भाग आरक्षित कर दिया गया।

उत्तराखण्ड में पंचायत स्तर पर ग्राम, विकास खण्ड व नगर पालिका तक महिलाओं के लिए आरक्षण लागू होने से महिलाएं तथ्यात्मक रुप में ही सही राजनीति में हिस्सेदारी कर रही हैं। यहां पर पंचायती कानून 2008 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रवधान किया गया है। जहां वे सशक्त हैं वहां वह पुरुषों के मुकाबले बेहतर काम कर रही हैं। वर्तमान में ग्राम पंचायत स्तर पर महिला प्रतिनिधियों की संख्या 38.40 प्रतिशत है, माध्यमिक स्तर पर 37.19 प्रतिशत है तथा जिला पंचायतों में 35.60 प्रतिशत है।

पिछले पंचायत चुनाव में महिलाएं उन सीटों पर भी भारी बहुमत से जीत कर आई जो कि सामान्य सीट थीं। लेकिन उत्तराखण्ड के वर्तमान राजीतिक परिदृश्य को देखा जाय तो गिनी–चुनी कुछ महिलाएं ही जिनके पति अथवा परिवार के कोई पुरुष सम्बन्धी राजनीतिक अथवा आर्थिक रुप से मजबूत रहे हों वही अपना दबादबा कायम कर पाई हैं। वर्तमान में यह तो आइने की तरह साफ है कि आज पंचायत स्तर पर चुनी गई अधिकांश महिलाएं अपने अधिकार का प्रयोग न के बराबर कर पाती हैं। उत्तराखण्ड के किसी भी गांव में आप चले जाइये महिला प्रधान का नाम तक लोग नहीं जानते, जब आप गहराई से सारी बातों को पूछें अथवा डर दिखाएं तभी महिला प्रधान आदि प्रतिनिधि सामने आ पाती हैं। कई जगहों महिला प्रतिनिधियों के अशिक्षित होने, पति, श्वसुर के दबंग होने अथवा घरेलू काम की ज्यादती के कारण वह चाह कर भी अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं कर पाती है। उन्हें सरकारी योजनाओं अथवा उनके अपन अधिकारों की जानकारी भी कम ही होती है। एक गांव में तो यह देखा गया कि महिला के हस्ताक्षर भी पति ही करते है और वास्तविक प्रधान महिला गांव में रहती ही नहीं हैं उनके पति ही उनके नाम पर सारे कार्य करते हैं। यह स्थिति अमूमन क्षेत्र, ब्लाक व अन्य स्तर के पदों में भी दिखाई देती है। इन्हीं कारणों से आज प्रधान पति व अन्य पुरुष सूचक पदों की शब्दावली प्रयोग में आने लगी है। हमारे समाज का पितृसत्तात्मक ढांचा, रीति रिवाज व रूढ़ियां भी महिलाओं को पति का विरोध करने के राह में रुकावट डालते हैं अतः काबिल होते हुए भी महिलाओं को पुरुषों पर निर्भर रह जाना पड़ता है। पिछले दिनों नैनीताल जनपद में पुरुषों द्वारा पंचायत स्तर की महिला प्रतिनिधियों के अधिकारों के गैर कानूनी उपयोग और उनके दखल पर रोक लगाने के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। यहां मौजूद अधिकांश महिलाओं का मानना था कि महिलाओं को निर्णय लेने की आजादी मिलनी चाहिए, जो कि पति हस्तक्षेप के कारण वह नहीं पाती। उनका यह मानना है कि महिलाओं के राजनीति में आने से समस्याओं का समाधान बेहतर तरीके से हो सकता है। अल्मोड़ा जिले से आई एक महिला का मानना था कि यदि पति व परिवार वालों का सहयोग मिले तो महिलाएं बेहतर कार्य कर सकती हैं। बेरीनाग, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ आदि जिलों से आई महिला प्रतिनिधियों का कहना था कि महिलाओं के आगे आने से भ्रष्टाचार में कमी आयेगी।

''उत्तराखण्ड राज्य निर्माण के बाद 70 विधाननसभा सीटों के लिए अब तक तीन बार विधानसभा चुनाव सम्पन्न हो चुके हैं परन्तु महिलाओं को इन सभी चुनावों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया है। राज्य के चुनावों में अब तक लगभग 45 राष्ट्रीय व क्षेत्रीय राजनीतिक दलों ने भागीदारी की है परन्तु इनमें किसी भी राजनीतिक दल ने महिलाओं का पार्टी का टिकट देने में कोई विशेष रुचि नहीं दिखाई है।''1.

उत्तराखण्ड विधानसभा चुनाव 2012 निर्वाचित सदस्य					
राजनीतिक दल	**निर्वाचित सदस्यों की संख्या**	**पुरुष सदस्य**	**पुरुष सदस्य (प्रतिशत में)**	**महिला सदस्य**	**महिला सदस्य (प्रतिशत में)**
कांग्रेस	32	28	87.5	4	12.5
भाजपा	31	30	97	1	3
बसपा	3	3	100	0	0
निर्दलीय	3	3	100	0	0
यूकेडी पी	1	1	100	0	0
कुल योग	70	65	93	5	7

स्त्रोतः उत्तराखण्ड इलैक्शन वॉच एण्ड एसोशिएसन डेमोक्रेटिक रिफॉर्मस

उत्तराखण्ड विधाानसभा चुनाव के पिछले समय में दिये गये टिकटों में महिलाओं की भागीदारी को उपरोक्त आंकड़े स्पष्ट करते हैं कि कोई भी राजनीतिक दल भले ही महिला सशक्तिकरण की कितनी भी बातें करें लेकिन वास्तव में महिलाओं को चुनाव में प्रतिनिधि नहीं बनाना चाहते हैं। आमतौर पर देखा गया है कि वही महिलाओं को टिकट मिलता है जो कि परम्परागत तरीके पति/पिता की सीट मानी जाती है और जहां मतदाताओं को भावनात्मक तौर पर रिझाने की सम्भावना ज्यादा होती है। अन्यथा महिलाओं की नेतृत्व क्षमता अथवा काबिलियत कोई मायने नहीं रखती। हमारे समाज में मौजूद महिला विरोधी पितृसत्तात्मकता, धर्म और जाति के नाम पर भी महिलाओं का राजनीति में उपयोग आदि विचार टिकट बंटवारे के समय अमानवीय तरीके से बाहर निकल कर आते हैं।

महिला उम्मीदवारों को टिकट नहीं देने के बारे में राजनीतिक दलों की राय है कि महिलाओं में जीतने की काबिलियत नहीं होती। लेकिन यदि हम चुनाव परिणाम देखें तो हम पायेंगे कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में जीतने की काबिलियत ज्यादा होती है। पिछले कुछ वर्षों के आंकड़े देखें तो हम पाते हैं कि सभी राज्यों में महिला मतदाताओं का प्रतिशत बढ़ा है यहां तक कि पुरुषों से अधिक रहा है। साल 2010 में बिहार विधानसभा चुनावों में महिलाओं का मतदान प्रतिशत पुरुषों के मुकाबले 3.4 प्रतिशत अधिक था, ऐसे ही रूझान 2012 में विधानसभा चुनावों में देखे गए। उसी साल गोवा में हुए विधानसभा चुनावों में महिलाओं का प्रतिशत पुरुषों की तुलना में छह प्रतिशत अधिक रहा। जबकि हिमाचल प्रदेश में यह आंकड़ा सात प्रतिशत था।

चुनााावों में युवाओं को आकर्षित करने के लिए तो हमेशा बहुत कुछ किया जाता है और सोचा भी जाता है लेकिन महिला मतदाताओं का समर्थन पाने के लिए कुछ विशेष करने की जरुरत नहीं समझी जाती हैं। जबकि अधिकतर सीटों में महिला मतदाताओं की संख्या लगभग आधी या इससे थोड़ी ही है। चुनाव में महिलाओं की राजनीतिक दलों की बैठकों, जलूसों में भागीदारी बेहतर होती है। महिलाएं अपनी पार्टी अथवा प्रत्याशी के प्रति अधिक ईमानदार और प्रतिबद्ध मानी जाती हैं। लेकिन उसके बावजूद टिकट बंटवारे के समय महिलाओं को कम ही महत्व दिया जाता है। टिकट बांटते हुए सभी दल महिलाओं से त्याग की उम्मीद करते हैं और उन्हें झूठे आश्वासनों का भरोसा दिलाकर बरगलाने में सफल हो जाते हैं।

आज जहां पर भी चुनाव होते हैं महिलाएं सक्रिय दिखाई देने लगती हैं, अब वे पहले से अधिक अपने हकों व अधिकारों के प्रति सचेत भी हुई हैं। अब वे अपनी भूमिका व महत्व को समझ रही हैं। यही कारण है कि महिलाएं अब चुनावों में अपनी दावेदारी को खुलकर रखने के लिए पुरुषों के बराबर में आ खड़ी हो रही हैं। इसलिए राजनीतिक दलों को भी अपनी महिला उम्मीदवारों की दावेदारी को लेकर अब गम्भीर व सचेत तरीके से सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। उत्तराखण्ड में भी पिछले दिनों कांग्रेस और भाजपा की महिला नेताओं ने महिलाओं को 33 प्रतिशत टिकट देने की मांग को लेकर कई माध्यमों से अपनी बात अपने पार्टी नेताओं तक पहुंचाने का प्रयास किया था। महिला आरक्षण का मौजूदा स्वरुप के अनुसार उत्तराखण्ड में कुल 23 सीटें आरक्षित होंगी और प्रत्येक तीसरी विधान सभा सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। लेकिन इसके अतिरिक्त राजनीतिक दल कितनी महिला प्रत्याशियों पर अपना भरोसा जताते हैं यह तो चुनाव के समय ही स्पष्ट हो पायेगा।

उत्तराखण्ड में 2017 के विधानसभा चुनाव का परिदृश्य इस प्रकार है–

कुल विधान सभा सीट	कुल मतदाता	कुल पुरुष मतदाता	कुल महिला मतदाता
70	73.81 लाख	3865572	3515279

''सर्विस वोटर की संख्या 107101, 17 जनवरी तक फार्म 6 भरवाकर वोटिंग लिस्ट में जुड़वा सकते हैं, नाम। 10854 मतदान केन्द्र हैं प्रदेश में, 1300 संवेदनशील और 680 अतिसंवेदनशील। 20 जनवरी को नोटिफिकेशन, 27 जनवरी को नामांकन, स्क्रूटनीः 30 जनवरी, नाम वापसी 1 फरवरी और चुनाव की तारीख 15 फरवरी 2017'' 2. स्रोत (अमर उजाला, 5 जनवरी वृहस्पतिवार, नैनीताल)

महिलाओं की चुनावों में हिस्सेदारी–: हालांकि सभी राजनीतिक दल आगामी चुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रुप देने में लगे हैं लेकिन अभी तक महिला उम्मीदवारों के नाम की चर्चाएं कम ही हो रही हैं यह भी तब जबकि भाजपा और कांग्रेस की महिलाओं ने अपनी 33 प्रतिशत की दावेदारी के लिए बैठकें की हैं और वे लगातार इस दिशा में प्रयासंरत हैं कि विधानसभा चुनावों में महिलाओं को टिकट बंटवारे में उचित प्रतिनिधित्व मिल सके।

दिसम्बर माह में विभिन्न जिलों से आई एक बैठक में जाने का अवसर मिला था। महिलाओं की यह बैठक उत्तराखण्ड स्तर पर आयोजित हुई थी। जिसमें महिलाओं की मुख्य बात यही थी कि 2017 के चुनाव में हमारे क्या मुदद् होने चाहिए। उसमें उत्तराखण्ड के बुनियादी मुदद्ों के अतिरिक्त महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा, उत्पीड़न, बलात्कार, घरेलू हिंसा आदि पर रोक लगे इसके लिए स्थानीय स्तर पर ही कारगर कदम उठाये जा सकते हैं। महिलओं का मानना था बिहार की तरह उत्तराखण्ड में भी पूर्ण शराबबन्दी लागू की जानी चाहिए। इस बैठक में कई महिला प्रतिनिधि भी शामिल थी। द्वाराहाट क्षेत्र की महिला मतादाताओं व जागरुक महिलाओं ने तय किया है कि उनके क्षेत्र के लोग उसी प्रतिनिधि को मत देंगे जो उनके क्षेत्र को जंगली जानवरों के आतंक के खिलाफ ठोस कारवाई करने का लिखित अश्वासन देगा। इस बैठक में महिला प्रतिनिधियों को जागरुक होकर अपने अधिकारों का स्वयं उपयोग करने और अपने क्षेत्र के विकास के लिए ईमानदार प्रयास करने का आग्रह भी किया गया।

2014 के लोकसभा चुनाव में केवल मुट्ठीभर महिलाओं का नामांकन हुआ था। साल 2009 में राजनीतिक दलों ने केवल 349 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया था। जबकि यह आंकड़ा महज 238 था। हालांकि राजनैतिक स्तर पर महिलाओं की हिस्सेदारी से महिलाओं के जीवन में कोई बुनियादी बदलाव नहीं हो सकता है। क्योंकि हम अगर इतिहास पर नजर डालें तो इन्दिरा गांधी लम्बे समय तक देश के शीर्ष पद पर रही लेकिन देश की महिलाओं के लिए विशेष रुप से उन्होंने कोई कार्य नहीं किया बल्कि अपनी पार्टी के विचारों का प्रतिनिधित्व करना ही उनकी प्रथामिकता रही। यही स्थिति हम उन राज्यों में भी पाते हैं जहां कि महिला मुख्यमंत्री रही हैं चाहे वह बंगाल हो या केरल चाहे वह उत्तर प्रदेश हो चाहे मध्यप्रदेश महिला हितों के लिए अलग से कोई प्रयास यहां की महिला मुख्यमन्त्रियों/प्रतिनिधियों द्वारा नहीं किये गये। इन राज्यों में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में भी कोई कमी नहीं दर्ज की गई। 16 दिसम्बर 2012 को दिल्ली में भयानक तरीके से अंजाम दिये गये निर्भया कांड के समय दिल्ली की मुख्यमन्त्री शीला दीक्षित थीं, लेकिन वह कहीं भी इस घटना के पक्ष में मुखर दिखाई देने के बजाय प्रदर्शन करने वालों पर पुलिस के दमन के खिलाफ कोई कारवाई करती नहीं दिखीं। कोई भी महिला सांसद इस घटना पर आम लोगों के साथ नहीं दिखाई दीं, यहां तक कि उनके बयान भी, कुछ ही महिला प्रतिनिधियों के तब आने शुरु हुए जब पूरा देश उबलने लगा।

लेकिन इस सबके बावजूद मौजूदा व्यवस्था में महिलाओं की संसद में जो लम्बे समय से 33 प्रतिशत भागीदारी की मांग है उसको लागू होना चाहिए और महिला प्रतिनिधियों को अपने दलों में इस आशय हेतु दबाव बनाना चाहिए ताकि महिलाओं की बराबरी का एक कदम आगे बढ़ सके। न केवल पंचायत स्तर पर बल्कि राज्य की विधानसभाओं में और संसद में भी आज महिलाओं को 50 प्रतिशत सीटें दिये जाने की जरुरत है ताकि आधी आबादी का उचित प्रतिनिधित्व हो सके।

1. स्रोत (अमर उजाला 5 जनवरी बृहस्पतिवार नैनीताल)
2. ''खाती डा. धीरज सिंह, निर्णय निर्माण में महिलाओं की भागीदारी, उत्तराखण्ड में महिलाओं की स्थिति एवं भूमिका, महिला अध्ययन केन्द्र कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल
3. http://www.merapahadforum.com/development-issues-of-uttaraa ;rkhand/women-reservation-bill-uttarakhand/